न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
32/2025 प्रा.पत्र/2025	02.04.2025	26.06.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक राज0

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन मालिक/एफ.बी.ओ. जे0के प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका क पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 16 साकेत कॉलोनी देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304023 मोबाईल नं0 8107707565

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री लालचन्द जैन स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 26/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2025 को समय 02:12 पी.एम. पर मैसर्स जे0के प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका क पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जे0के प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका के पास देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ./मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री लालचन्द जैन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी व मसालों, दाले नमकीन, कन्फैक्शनरी आदि के साथ–साथ दुकान की रैंक में 1–1लीटर की 7–8 प्लस्टिक बोतल मूल पैक **मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastic Brand)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि **मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand)** जिसके बैच नम्बर ए-10 एवं पैकिंग की दिनांक जनवरी–2025 थी, मूंगफली तेल **मूंगफली तेल निवाई**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand) में से 1–1 लीटर की 4 प्लास्टिक बोतल मूल वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand)** 1–1 लीटर की 4 प्लास्टिक बोतल पैक को ज्यो का त्यो अलग–अलग 4 साफ व सूखे डिब्बों में रखकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4238 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4238 नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉं तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री लाल चन्द जैन पुत्र श्री सिद्वराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जे0के प्रोविजन स्टोर जहाजपुर चुंगी नाका क पास देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी उक्त खाद्य पदार्थ का कोई खरीद बिल प्रस्तुत किया एवं अनभिज्ञता जाहिर की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/250 दिनांक 06.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल.एस/215/एक्ट/2025/352 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री लालचन्द जैन स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मूंगफली तेल निवाई स्वास्तिक ब्राण्ड(Groundnut Oil Newai Swastik Brand) का नमूना जांच में अवमानक(Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0